परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 13.12.2018 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 13.12.2018, दिन गुरूवार को मध्याह्न 12:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
5.	डॉ0 मुनेश कुमार, सह–आचार्य, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
6.	डॉ0 देवेन्द्र अवस्थी, शिक्षक–अर्थशास्त्र, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर	सदस्य
7.	डॉ0 सुधीर कुमार अवस्थी, सह–आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 अंशु यादव, सह–आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
10.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
11.	डॉ0 विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	श्री एस.एल. पाल, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी द्वारा नवागन्तुक सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये :–

मद सं0–1. **परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 26.11.2018 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार :–**

निर्णय :– परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 26.11.2018 के कार्यवृत्त के बिन्दु–9, अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से के मद सं0–ड. में विद्यापरिषद के सदस्य डॉ0 देवेन्द्र अवस्थी, शिक्षक–समाजशास्त्र के स्थान पर शिक्षक–अर्थशास्त्र, इस आंशिक संशोधन के साथ शेष समस्त कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

मद सं0–2. **सत्र 2018–19 की मुख्य परीक्षा में परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने हेतु शासनादेश सं0–9/2018/1036/सत्तर–1–2018–16 (9)/2018 दिनांक 15 नवम्बर, 2018 पर विचार :–**

निर्णय :– शासनादेश सं0–9/2018/1036/सत्तर–1–2018–16 (9)/2018 दिनांक 15 नवम्बर, 2018 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचारार्थ एवं तदनुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से एक समिति निम्नवत् गठित की गई :–

1. प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर
2. कुलसचिव
3. परीक्षा नियंत्रक
4. सिस्टम मैनेजर

मद सं0–3. **याचिका सं0–36338/2018 आदर्श सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में याची आदर्श सिंह, छात्र एम0एड0 (भाग–1), परीक्षा 2015–16, अनुक्रमांक–0090551 के परीक्षाफल घोषित करने के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णय :– याचिका संख्या 36338/2018, आदर्श सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य इस प्रार्थना के साथ योजित की गयी है कि याची, आदर्श सिंह, परीक्षार्थी,एम0एड0 (भाग–1) परीक्षा 2015–16, अनुक्रमांक–0090551 का परीक्षाफल घोषित कर संशोधित अंकतालिका निर्गत करते हुए याची को एम0एड0 द्वितीय वर्ष परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए।

13/XII.

याचिका के सम्बन्ध में अतिगोपनीय विभाग की टिप्पणी/आख्या दिनांक 01.11.2018 एवं कम्प्यूटर सेन्टर की आख्या दिनांक 12.11.2018 (पृष्ठ–3 एवं 4) के क्रम में निम्न तथ्य विचारार्थ प्रस्तुत है–

1. याची, एम0एड0 प्रथम भाग परीक्षा सत्र 2015–16 में अनुक्रमांक–0090551, केन्द्र– प्रेमा कटियार महाविद्यालय, पुखरांया, कानपुर देहात से सम्मिलित हुआ था तथा प्रैक्टिकम प्रश्नपत्र, प्रेपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस में 12/30 प्राप्तांक अंकित करते हुए उसका परीक्षाफल अनुत्तीर्ण घोषित हुआ।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2017 (पताका 'क') के बिन्दु–2 में उल्लिखित है कि यदि कोई छात्र प्रैक्टिकम मे वर्णित प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित हो तो उसे द्वितीय वर्ष में अस्थायी प्रवेश प्रदान किया जाएगा तथा प्रथम वर्ष की परीक्षा के मध्य अपने–अपने प्रश्नपत्रों में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. पताका 'ख' पर संलग्न संकायाध्यक्ष, शिक्षा की टिप्पणी दिनांक 30.10.2017 पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा इस आशय के आदेश प्रदान किए गए है कि यदि एम0एड0 प्रथम वर्ष परीक्षा का परीक्षार्थी समस्त प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण है परन्तु प्रश्नपत्र, प्रेपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस में अनुत्तीर्ण है तो उसे द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर उक्त प्रश्नपत्र की बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए। माननीय कुलपति जी के आदेशों के क्रम में याची को द्वितीय वर्ष में प्रमोट करते हुए संशोधित अंकतालिका निर्गत की गयी।
3. याची द्वारा कुलपति महोदय के बिन्दु–2 पर उल्लिखित आदेश के क्रम में याची द्वारा बैकपेपर परीक्षा हेतु आवेदन न कर छूटे हुए प्रैक्टिकम प्रश्नपत्र, प्रेपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस की परीक्षा में सम्मिलित हुआ तथा उसे 17/30 अंक प्राप्त हुए।
4. याची द्वारा भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने हेतु आवेदन किया गया, तद्नुसार विश्वविद्यालय द्वारा याची को एम0एड0 प्रथम वर्ष परीक्षा सत्र 2017–18 में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अनुक्रमांक–0020832 आवंटित किया गया तथा याची परीक्षा में सम्मिलित हुआ। परन्तु अतिगोपनीय विभाग में उपलब्ध सम्बन्धित सारणीयन पंजिका में न तो याची को भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में आवंटित अनुक्रमांक अंकित है और न ही अन्य कोई विवरण। उक्त के सम्बन्ध में कम्प्यूटर सेन्टर की टिप्पणी दिनांक 12.11.2018 में यह उल्लिखित है कि याची द्वारा भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में आवेदन किया जाना वांछित नहीं था।

तत्क्रम में याची के प्रश्नगत परीक्षाफल, एम0एड0 (प्रथम वर्ष) परीक्षा सत्र 2015–16 एवं एम0एड0 (द्वितीय वर्ष) कक्षा में प्रवेश के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जाना है।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रहित में सम्बन्धित छात्र के (एम0एड0 प्रथम वर्ष) भूतपूर्व परीक्षा के अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए एम0एड0 द्वितीय वर्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर

मद सं0–4. याचिका सं0–35168/2018, श्रीमती सुखप्रीत कौर बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में याची सुखप्रीत कौर, बी0एड0–2003, अनुक्रमांक–33161 के प्रकरण पर विचार :–

निर्णय :– याचिका संख्या 35168/2018, श्रीमती सुखप्रीत कौर बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभागीय टिप्पणी दिनांक 16.10.2018 के क्रम में अतिगोपनीय विभाग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी दिनांक 23.10.2018 में उल्लिखित है कि बी0एड0 परीक्षा–2003, केन्द्र, डी0डब्लू0टी0 कॉलेज, कानपुर की अतिगोपनीय विभाग में उपलब्ध सारणीयन पंजिका में याची सुखप्रीत कौर के स्थान पर शिखा मौर्या, पुत्री श्री आर.एन. मौर्या अंकित है तथा छात्रा प्रायोगिकी में अनुपस्थित है। अतिगोपनीय विभाग की टिप्पणी में यह भी उल्लिखित है कि नाम संशोधन आदि का कार्य परीक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। अतः बी0एड0 परीक्षा–2003 के अनुक्रमांक–33161 के सम्मुख किस छात्रा का नाम अंकित है, की पुष्टि परीक्षा विभाग की सारणीयन पंजिका से की जा सकती है। सूच्य है कि याची, सुखप्रीत कौर, परीक्षार्थिनी बी0एड0 परीक्षा–2003, अनुक्रमांक– 33161 की अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत है जिसकी पुष्टि कम्प्यूटर विभाग की टीप दिनांक 02.11.2018 द्वारा की गयी है।

13/XII.

आदेशानुसार कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध बी0एड0 परीक्षा–2003, अनुक्रमांक–33161 की परीक्षा विभाग की सारणीयन पंजिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त अनुक्रमांक के सम्मुख अंकित शिखा मौर्या, पुत्री आर0एन0 मौर्या को संशोधित कर सुखप्रीत कौर, पुत्री टी0एस0 सिद्धू अंकित किया गया है।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण की जाँच हेतु एक समिति निम्नवत् गठित की गई :–

1. प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, आचार्य, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर
2. डॉ0 मुनेश कुमार, सह–आचार्य, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर
3. परीक्षा नियंत्रक

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद सं0–5. **विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग ने अपनी टीप दिनांक 15.11.2018 छात्र रविन्द्र कुमार, बैच–2011 को तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में विशेष बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित करने के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णय :– विभागाध्यक्षा, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग ने अपनी टीप दिनांक 15.11.2018 के माध्यम से अवगत कराया है कि छात्र रविन्द्र कुमार, बैच–2011, अनुक्रमांक–0303152 द्वारा बी0सी0ए0 षष्ठम् सेमेस्टर की परीक्षा पूर्ण कर ली गई है, किन्तु बी0सी0ए0 तृतीय सेमेस्टर के Computer Architecture प्रश्नपत्र एवं पंचम् सेमेस्टर के Java प्रश्नपत्र में बैक आ गयी है तथा छात्र की पाठ्यक्रम की 05 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। छात्र द्वारा उक्त प्रश्नपत्रों में विशेष बैकपेपर परीक्षा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यादेश के अनुसार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है।

मद सं0–6. **छात्र अरूण कुमार कुशवाहा, छात्र बी0ए0 प्रथम वर्ष, संस्थागत परीक्षा–2003, अनुक्रमांक–132462, अर्मापुर पी0जी0 कालेज, कानपुर की प्रायोगिक परीक्षा कराये जाने के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णय :– छात्र अरूण कुमार कुशवाहा, बी0ए0 प्रथम वर्ष, संस्थागत परीक्षा–2003, अनुक्रमांक–132462, अर्मापुर पी0जी0 कालेज, कानपुर, विषय–प्राचीन भारतीय इतिहास, अर्थशास्त्र एवं चित्रकला की परीक्षा में सम्मिलित हुआ था, किन्तु कतिपय कारणोंवश प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित हो गया। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 05.07.2003 के माध्यम से छात्र को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। पुनश्च छात्र द्वारा बैकपेपर परीक्षा एवं छूटी प्रायोगिक परीक्षा दी गई। छात्र के बैकपेपर प्राप्तांक को विश्वविद्यालय द्वारा चार्ट में प्रविष्टि कर दी गई, किन्तु छूटी प्रायोगिक परीक्षा के अंक चार्ट पर प्रविष्ट नहीं किए गए, जिससे परीक्षाफल अपूर्ण है। छात्र को बी0ए0 तृतीय वर्ष, संस्थागत परीक्षा–2005, अनुक्रमांक–348090 की द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की अंकतालिका प्राप्त करा दी गई, जिसके आधार पर छात्र द्वारा एम0ए0–अर्थशास्त्र एवं बी0एड0 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी है।

तत्सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 04.09.2018 द्वारा निर्णय लिया गया था कि चूंकि प्रकरण बहुत पुराना है तथा छात्र बी0ए0 प्रथम वर्ष की बैकपेपर परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। अतः विशेष परिस्थिति में छात्रहित में उक्त छात्र को बैकपेपर परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करते हुए तद्नुसार परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

छात्र को निर्गत आदेश दिनांक 25.09.2018 के माध्यम से अपनी अंकपत्र पर प्रायोगिक परीक्षा के अंक प्रदान करने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 25.09.2018 के माध्यम से आवेदन किया गया, जिसमें अतिगोपनीय अनुभाग द्वारा दिनांक 28.09.2018 के माध्यम से अवगत कराया गया कि विभाग में उक्त छात्र के प्रायोगिक परीक्षा के अंक उपलब्ध नहीं है। साथ ही अर्मापुर पी0जी0 कालेज, कानपुर की प्राचार्य द्वारा भी अवगत कराया गया है कि प्रकरण पुराना है तथा वर्ष 2003 के अभिलेख महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण की जाँच हेतु एक समिति निम्नवत् गठित किए जाने की अनुशंसा की गई :–

13/XII.

1. प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर
2. डॉ0 सुधीर कुमार अवस्थी, सह–आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर
3. परीक्षा नियंत्रक

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद सं0–7. **अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**

कार्यवाही :– इस मद में निम्नांकित प्रकरण प्रस्तुत किए गए :–

(क) **श्री अम्बरीष कुमार सिंह, छात्र एलएल.बी., अनुक्रमांक–0217114 के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णय :– कृपया श्री अम्बरीष कुमार सिंह, एल.एल.बी., अनुक्रमांक 0217114 ने प्रार्थनापत्र दिनांक 05.12.2018 द्वारा एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा सत्र 2015–2016 में अनुक्रमांक 0217114 से सम्मिलित होने तथा क्रमशः Constitutional Law-I व Family Law-I प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक 36 प्रतिशत अंक न होने के कारण **नियमानुसार बैक पेपर परीक्षा देने के स्थान पर त्रुटिवश भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने के** फलस्वरूप नियमानुसार परीक्षार्थी द्वारा उत्तीर्ण किये गये द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम शून्य हो जाने का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया है कि उसके द्वारा भूतपूर्व छात्र के रूप में दी गई प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा रद्द कर दी जाय तथा आगामी परीक्षाओं में बैक पेपर देने की अनुमति प्रदान की जाय।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में वर्णिय व्यवस्था यथा –

"A Candidate who appears is at least 4 papers of the First Semester will be promoted to second Semester. However, a Candidate will not be permitted to join Third Semester unless He or She clears at least Six papers in total of First and Second Semester with 48% of aggregate marks. Similarly a Candidate will be permitted to join Fourth Semester if he appears in at least 4 papers of Third Semester and remaining un-cleared papers of First Semester.

However, No Candidate will be permitted to join Fifth Semester unless he clears all the papers of First and Second Semester and at least Six Papers in total of Third and Fourth Semester with 48% of aggregate marks. A Candidate will be promoted to Sixth Semester only if he appears in at least 4 papers of Fifth Semester and remaining uncleared paper of Third Semester.

A candidate who is allowed to reappear in the examination in accordance with above rules shall appear in the next examination of those papers along with the regular examination of the Semester to which he was promoted.

A candidate who has failed in the examination but ineligible for back paper facility may also be allowed to appear in the consecutive examination of the concerned semester.

A Candidate will have to clear the LL.B. (Three Year Course) in maximum of Six years. If he fails to pass the examination during this period, he will be deemed to have abandoned the course and shall not be readmitted in these courses." के अनुसार छात्र प्रथम सेमेस्टर के प्रश्नपत्रों में बैक पेपर देने हेतु अर्ह था परन्तु त्रुटिवशः उसने भूतपूर्व छात्र के रूप में आवेदन कर दिया तद्नुसार उसके द्वारा द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षायें निष्प्रभावी हो गयीं हैं तथा ये परीक्षायें उसे पुनः उत्तीर्ण करनी होंगी। इस प्रकार छात्र का पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि छः वर्ष में सभी परीक्षायें उत्तीर्ण कर पाना संदिग्ध है। आवेदक ने निवेदन किया है:–

(अ) उसके द्वारा त्रुटिवशः प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा बैक पेपर के स्थान पर भूतपूर्व छात्र के रूप में दिये जाने के आलोक में उसके द्वारा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में अर्जित अंक स्वीकार कर लिए जाय तथा पूर्व में दी गई द्वितीय सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा, जिनमे वह उत्तीर्ण है, को शून्य न घोषित करते हुए यथावत स्वीकर उसे आगामी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

अथवा

13/XII.

(ब) उसके द्वारा भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा को निष्प्रभावी मानते हुए उसे आगामी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में Constitutional Law-I व Family Law-I प्रश्नपत्रों की बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान किया जाय जिससे अगली चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में वह सम्मिलित हो सके।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति निर्णय लिया कि छात्रहित में अम्बरीश कुमार सिंह की भूतपूर्व परीक्षा को निरस्त करते हुए प्रथम सेमेस्टर में बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही–सहा0 कुलसचिव (सेमेस्टर परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

(ख) **कु0 रूबी देवी पुत्री जगमोहन सिंह के प्रार्थनापत्र दिनांक 12.12.2018, जो बी0एड0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की विशेष बैकपेपर परीक्षा कराये जाने से सम्बन्धित है, पर विचार :–**

निर्णय :– परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कु0 रूबी देवी पुत्री श्री जगमोहन सिंह, प्रेमा कटियार शिक्षण संस्थान महाविद्यालय, पुखरायाँ, कानपुर देहात द्वारा अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 12.12.2018 के माध्यम से बैच 2015–17, बी0एड0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की विशेष बैकपेपर परीक्षा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति छात्रहित में बैच 2015–17 के ऐसे समस्त छात्र/छात्राएं, जो बी0एड0 द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण हैं, किन्तु प्रथम वर्ष की परीक्षा में किसी एक विषय/प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित रहे हैं, को विशेष बैकपेपर परीक्षा सत्र 2016–18 की द्वितीय वर्ष बैकपेपर परीक्षा के साथ सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

(ग) **जीवन विज्ञान विभाग के सेमेस्टर प्रश्नपत्रों में पायी गई विसंगतियों पर विचार :–**

निर्णय :– परीक्षा समिति के सदस्य डॉ0 सुधीर कुमार अवस्थी द्वारा अवगत कराया गया कि विषम सेमेस्टर परीक्षा नवम्बर–2018 के एम0एससी0–माइक्रोबायोलॉजी, प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्नपत्र (Biostatistics and Computer Application, Q.P.-MIC103) में प्रश्नपत्र रचयिता (Paper Setter) द्वारा प्रश्नपत्र के अन्त में Calculators/Mobiles for calculation are allowed लिखा गया है। साथ ही एम0एससी0–लाइफ साइंस, प्रथम सेमेस्टर के षष्ठम् प्रश्नपत्र एवं अष्टम् प्रश्नपत्र तथा तृतीय सेमेस्टर के षष्ठम् प्रश्नपत्र में कतिपय विसंगतियां एवं मानकानुसार न होने की शिकायत की गई है।

तत्क्रम में उक्त तथ्यों के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण की जाँच हेतु एक समिति निम्नवत् गठित की गई है :–

1. प्रो0 नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर
2. डॉ0 सुधीर कुमार अवस्थी, सह–आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर
3. परीक्षा नियंत्रक

कार्यवाही–सहा0कुलसचिव (सेमेस्टर परीक्षा)

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

13/XII.

(एस.एल. पाल)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

13/12/18

प्रो0(नीलिमा गुप्ता)
कुलपति